भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1512

10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सा पद्धति

1512. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयुष चिकित्सा पद्धति देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का हिस्सा बन गई है;

(ख) यदि हां, तो सामुदायिक प्रक्रियाओं और व्यवहार परिवर्तन संचार, मानव संसाधन विकास, जन स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार की गई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी), लागू की जाने वाली रणनीतियों, बजटीय आवश्यकताओं और स्वास्थ्य परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन और कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात निवारण और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में दी गई आवश्यकताओं के आधार पर उपलब्ध समग्र संसाधनों के अनुसार चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए सहायता सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रणालियां सुदृढ़ करने और सहस्थापित सुविधाओं के माध्यम से आयुष को मुख्यधारा में लाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, जिसका एक घटक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सकों/पराचिकित्सकों की नियुक्ति के लिए सहायता दी जा रही है, बशर्ते वे मौजूदा जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के साथ सह-स्थापित हों जिसमें दूरस्थ पीएचसी और सीएचसी को प्राथमिकता दी गई हो।

(ग): आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। मिशन में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रावधान हैं जिसमें राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के साथ आयुष के

समेकन का आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के तहत उन से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उपलब्ध संसाधनों के अधीन तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और जागरूकता सृजन, जांच, शीघ्र निदान, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा के उचित स्तर पर प्रबंधन और रेफरल पर केंद्रित है। एनपीसीडीसीएस के तहत, 707 जिला एनसीडी क्लीनिक, 193 जिला कार्डियक केयर इकाइयां, 268 डे केयर केंद्र और 5541 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

केंद्रीय सरकार कैंसर की तृतीयक परिचर्या सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से तृतीयक परिचर्या कैंसर सुविधा सुदृढ़ीकरण योजना क्रियान्वित करती है। उक्त योजना के अंतर्गत 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 तृतीयक परिचर्या कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) अनुमोदित किए गए हैं।

*****